



# कोविड-19 महामारी के दौरान आपके अधिकार

कुछ निश्चित क्षेत्रों में भेदभाव करना गैर-कानूनी है, इनमें शामिल है

- काम पर
- शिक्षा
- वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करना
- आवास
- पंजीकृत क्लब।

## महामारी के दौरान आपके अधिकार

कोविड-19 महामारी और पाबंदियों के दौरान भी, आपको भेदभाव मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है।

यह आपका अधिकार है कि आप की जाति, गर्भावस्था, आपकी बीमारी अथवा देखभालकर्ता होने के नाते आप की ज़िम्मेदारियों की वजह से आपके साथ भेदभाव ना किया जाए। न्यू साउथ वेल्स के विधान में और भी बहुत सारी अन्य सुरक्षा विशेषताएँ हैं।

## गैर-कानूनी भेदभाव के उदाहरण

आपको नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि आप को कोविड-19 है या आप के परिवार में किसी को कोविड-19 हुआ है।

आपका नियोजित कोविड-19 की वजह से अपने व्यापार में कटौतियाँ करता है और आपके काम के स्थान पर किए जा रहे बदलावों के चलते, आप के साथ किया जाने वाला व्यवहार आप के सहकर्मियों को मिलने वाले व्यवहार से अलग है, सिर्फ इसलिए कि आप गर्भावस्था में हैं या देखभालकर्ता होने के नाते आप की ज़िम्मेदारियाँ हैं।

आपका किराये का अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि आप एक डॉक्टर, नर्स या स्वास्थ्य-कर्मि हैं और मकान मालिक इस बात से चिंतित है कि आप कोविड-19 से संक्रमित हो जाएँगे और संपत्ति को दूषित कर देंगे।

आपकी जाति की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर आप के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जाति में रंग, राष्ट्रियता, वंश, संजाति और/अथवा जाती-धर्म से होना शामिल है।

आपकी जाति की वजह से आप को किसी दुकान पर सेवा दिए जाने से मना कर दिया गया है।

## महामारी के दौरान आपकी ज़िम्मेदारियाँ

आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप कोविड-19 महामारी में स्थापित किए गए कानून और लगाई गई पाबंदियों का पालन करें। स्वास्थ्य संबंधी नवीनतम सलाह न्यू साउथ वेल्स हेल्थ की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है।

किसी की जाति की वजह से, या अगर आप को लगे की किसी को कोविड हुआ है, या कोई भी ऐसी विलक्षणता जो न्यू साउथ वेल्स के कानून में संरक्षित है, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव या अनुचित व्यवहार ना करना भी आप की एक ज़िम्मेवारी है।





Anti-Discrimination  
New South Wales

**पूछताछ**

फोन (02) 9268 5544

टोल फ्री (निः शुल्क सेवा) 1800 670 812

adbcontact@justice.nsw.gov.au

**शिकायतें**

complaintsadb@justice.nsw.gov.au

**अनुवाद और दुभाषिया सेवा (Translating  
and Interpreting Service)**

13 14 50

**वेबसाईट**

antidiscrimination.justice.nsw.gov.au

**Parramatta**

Level 7, 10 Valentine Avenue

Parramatta NSW 2150

PO Box W213, Parramatta

Westfield NSW 2150

फोन (02) 9268 5555

फैक्स (02) 9268 5500



हमारा प्रयास है की  
सवालों और शिकायतों  
के समाधान निकाल कर,  
भेदभाव और उससे होने  
वाले प्रभावों के बारे में  
जागरूकता बढ़ा कर, और  
बदलाव प्रति प्रभाव डालने  
संबंधी कार्रवाई कर के न्यू  
साउथ वेल्स से भेदभाव  
को खत्म किया जाए।  
हम भेदभाव विरोधी  
कानून 1977 का प्रशासन  
करते हैं।